भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

27.11.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 438 का उत्तर

राजस्थान के लिए रेल परियोजनाएँ

438. श्रीमती मंजू शर्मा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान राज्य के लिए 2019 से स्वीकृत रेल परियोजनाओं का जोन-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं में से चालू परियोजनाओं और उन पर अब तक किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा परियोजना-वार क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पिछले रेल बजट की परियोजनाओं का विश्लेषण करने के पश्चात् निधि आवंटित करने और राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में अन्य नई परियोजनाओं हेतु निधि स्वीकृत करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राजस्थान के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान घोषित नई रेलगाड़ियों के संचालन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

राजस्थान के लिए रेल परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा में श्रीमती मंजू शर्मा के अतारांकित प्रश्न सं. 438 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): रेल परियोजनाएं/सर्वेक्षण राज्य-वार/जिला-वार/क्षेत्र-वार/निर्वाचन क्षेत्र-वार स्वीकृत नहीं किए जाते हैं बल्कि जोन-वार स्वीकृत किए जाते हैं क्योंकि भारतीय रेल की परियोजनाएं राज्य की सीमाओं/संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के आर-पार हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को चालू परियोजनाओं के थ्रोफारवर्ड और धनराशि की समग्र उपलब्धता के आधार पर लाभप्रदता, अंतिम स्थान तक संपर्कता, अनुपलब्ध कड़ियों और वैकल्पिक मार्गों, भीड़भाड़/संतृप्त लाइनों के विस्तार, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक कारकों आदि के आधार पर क्षेत्रीय रेल-वार शुरू किया जाता है।

राजस्थान में रेल परियोजनाओं को भारतीय रेल के उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे जोन द्वारा पूरा किया जाता है। लागत, व्यय और परिव्यय सहित रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार विवरण भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान राज्य में पूर्णत:/आंशिक रूप से पड़ने वाली 4191 किलोमीटर लंबाई की 51814 करोड़ रु. लागत की 32 रेल अवसंरचनात्मक परियोजनाएं (15 नई लाइन, 05 आमान परिवर्तन और 12 दोहरीकरण परियोजनाएं) हैं जो योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 1183 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक 14786 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। सार निम्नानुसार है:

श्रेणी	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किमी. में)	कमीशन की गई लंबाई (किमी. में)	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	15	1230	134	3593
आमान परिवर्तन	5	1252	759	5398
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	12	1709	290	5794
कुल	32	4,191	1,183	14,785

वर्ष 2014 से, बजट आवंटन और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की तदनुरूपी कमीशनिंग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। राजस्थान राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचनात्मक और अन्य कार्यों हेतु औसत वार्षिक बजट आबंटन निम्नानुसार हैः-

<u>बजट आबंटन:</u>

अवधि	औसत परिव्यय
2009-14	682 करोड़ रु. प्रति वर्ष
2023-24	9532 करोड़ रु. (लगभग 14 गुना)
2024-25	9959 करोड़ रु. (लगभग 15 गुना)

भारतीय रेल में नए ट्रैक के कमीशनिंग/बिछाने का विवरण नीचे दिए गया है:

अवधि	कमीशन किए गए नए रेल पथ	कमीशनिंग किए गए नए रेलपथों का औसत
2009-14	798 किलोमीटर	159.6 किलोमीटर/वर्ष
2014-24	3742 किलोमीटर	374.2 किलोमीटर/वर्ष (2 गुना से अधिक)

रेल परियोजनाओं का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियों, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना/ओं विशेष के स्थल के लिए किसी वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या इत्यादि पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

रेल परियोजनाओं के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में शामिल हैं (i) धन के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि, (ii) क्षेत्र स्तर पर शक्तियों का हस्तांतरण, (iii) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी (iv) भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव मंजूरी में तेजी लाने तथा परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखना।

(ङ) चूंकि रेल नेटवर्क राज्य की सीमाओं के आर-पार फैला हुआ है, इसलिए नेटवर्क की आवश्यकता के अनुसार उन सीमाओं के आर-पार गाड़ियां चलाई जाती हैं। बहरहाल, पिछले 03 वर्षों के दौरान, अर्थात 2022-2023 से 2024-2025 (20 नवंबर, 2024 तक) राजस्थान राज्य में स्थित स्टेशनों के यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरंभिक/गंतव्य स्थान के आधार पर 25 जोड़ी नई गाड़ी सेवाएं शुरू की गई हैं।

******